

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:सेवा संतोषजनक प्रमाण—पत्र:—

:: प्रारूप-6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक विषय— चित्रकला का निम्नानुसार विभागीय आदेश दिनांक 07.07.2021 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की जा चुकी है, के सम्बन्ध में :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्री अर्जुन सिंह	15.07.1969	राउमावि. लक्ष्मणगढ़, अलवर	30.04.1994	01.08.2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के कार्मिक के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम- 19 के अधीन कोई प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट:- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/स्वै. सेवा निवृत्ति /2012/526

दिनांक:- 21/02/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
3. संबंधित जिला शिक्षा (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य...../ संबंधित कार्मिक.....
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर